

>

Title : U.S.A. supporting the ban on the sale of enrichment and reprocessing items to India by Nuclear Supplier Group.

डॉ. मुरली मनोहर जोशी (वाराणसी): महोदया, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को सदन व सरकार के सामने रखने का समय दिया। पिछले दिनों समाचार-पत्रों में और जो जी-8 देशों की बैठक हुई, उसकी रिपोर्ट से पता लगा कि जी-8 में एनएसजी का जो ड्राफ्ट सरकुलेट हुआ है, उसका रिवाइज्ड पैराग्राफ 6 एंड 7 आफ आईएनएफ सीआईआरसी 254/ पार्ट वन, इसमें 7 क्राइटेरिया बताये गये हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी होगा जब कोई एनएसजी का मेंबर अधिकृत करेगा सप्लाई ऑफ़ ईएनआर फैसिलिटीज अर्थात् इनरिचमेंट एंड री-प्रोसेसिंग फैसिलिटीज। The paragraph 6(a)(i) says that :

"The recipient must be a party to the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and is in full compliance with its obligations under the Treaty."

यह बात इसमें आयी है। रिपोर्ट यह कहती है कि एनएसजी वालों ने इस प्रस्ताव को जी-8 की बैठक में पास किया है। अगर ऐसा हो गया है तो जो कुछ वचन अभी तक इस मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी ने दोनों सदनों और देश को दिये हैं, यह बिल्कुल उसके बरखिलाफ़ है। हमें बताया गया था कि भारत का स्टेटस बिल्कुल साफ़ है और वेवर बिल्कुल क्लीन है और इसमें और कोई किसी तरह की धारा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछा गया था कि क्या इसके अलावा कोई और गुप्त धारा है, इसके अंदर कहीं कोई और गुप्त संकेत हैं तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जो कुछ है, वह यही है। उनका अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ जो ज्वाइंट स्टेटमेंट हुआ था, उसके अलावा और कुछ नहीं है।[\[C8\]](#)

लेकिन मैं देख रहा हूँ कि धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें बदल रही हैं और यह हो जाना तो बहुत खतरनाक है। इसका अर्थ यह है कि अगर हम नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे तो हमें एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग की फैसिलिटी नहीं मिलेगी। मान लीजिए आपके यहाँ 10 रियैक्टर अमेरिका या और देशों के आ गए जो आपने यहाँ लगाए, उनसे इतना न्यूक्लियर वेस्ट होगा, उसका हम क्या करेंगे? हम उसको रीप्रोसेस नहीं कर सकते, उसको एनरिच नहीं कर सकते। यह एक बहुत गंभीर बात है। हम डंपिंग ग्राउंड बन जाएंगे इस वेस्ट मैटीरियल का। इसके अलावा हमारे थोरियम प्रोग्राम पर, बाकी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर इसका भारी असर पड़ने वाला है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि अभी जनवरी के महीने में कॉमर्शियल न्यूक्लियर मिशन टु इंडिया की मीटिंग हुई थी, उसमें हमारे चेयरमैन, डिपार्टमेंट ऑफ़ एटॉमिक एनर्जी, श्री अनिल काकोडकर ने यह कहा -

"that he felt betrayed by the US policy supporting a ban on enrichment and reprocessing technology in the Nuclear Suppliers Group (NSG) saying that it looked to be 'directly targeting India' by requiring signature of the Nuclear Non-Proliferation Treaty."

He further added:

"The long-term relationship we are developing is not consistent with this kind of negative development."

यह बहुत खतरनाक बात है, बहुत गंभीर बात है। अगर इसी तरह से यह चलता रहा, तो जिस उद्देश्य से आपने यह सारा समझौता किया था, वह बिल्कुल विफल हो जाएगा। इससे हमारा कोई मिलिट्री प्रोग्राम नहीं बन पाएगा, हम थोरियम प्रोग्राम नहीं चला पाएंगे। हम सिवाय न्यूक्लियर सप्लायर्स के डंपिंग ग्राउंड ऑफ़ डैट वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर बात है। इसके लिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रधान मंत्री को स्वयं आकर दोनों सदनों और देश के सामने यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि यह समझौता हमें कहाँ ले जा रहा है। क्या वह एनपीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं? यदि नहीं, तो फिर इस समझौते का मतलब क्या है क्योंकि आपको एनरिचमेंट और रीप्रोसेसिंग की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अगर आपने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिया, तो बाकी सारे समझौते का मतलब ही क्या है? यह एक बहुत खतरनाक चीज़ आकर खड़ी हो गई है। समय बहुत कम है, अन्यथा मेरे पास जो तथ्य आ रहे हैं, वे बहुत ज्यादा गंभीर आ रहे हैं।

एक बात और कही गई है कि इस देश की बहुत छोटी और थोड़ी कंपनियाँ केवल न्यूक्लियर मैटीरियल में डील करती हैं। अगर ये रियैक्टर और सारे कुछ आए तो उनके नट-बोल्ट ठीक करने में ये लगी रहेंगी, इनका कोई इंडस्ट्रियल डैवलपमेंट नहीं होगा। हमें यह बताया गया था कि बहुत बड़ी मात्रा में न्यूक्लियर इंडस्ट्री देश में डैवलप होगी। उसका ज़रा सा भी उल्लेख इसके बाद नहीं रहेगा, उसका ज़िक्र ही आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने देश में न्यूक्लियर इंडस्ट्री को बढ़ा नहीं पाएंगे। मैंने यह बात पिछली बार भी राज्य सभा में कही थी, देश के सामने भी कही थी कि आप जो समझौता कर रहे हैं, वह देश को कहीं नहीं ले जाएगा। उससे हमें एक और खतरा भी है। अगर आपका मिलिट्री प्रोग्राम नहीं है और आपने एनपीटी पर हस्ताक्षर कर दिये, तब तो आप फिर अमेरिकन हैजेमनी के अंदर आ गए जिसकी तरफ अभी हमारे बसुदेव आचार्य जी भी दिशा संकेत कर रहे थे। वह सब तरफ से आ रहा है। तो यह क्या दबाव है? यहाँ मैंने देखा कि जब मिसेज़ क्लिंटन से पूछा गया तो उन्होंने कुछ गोलमोल सा जवाब दे दिया। उसके बाद हमारे जो एसीए डायरेक्टर हैं डैरिल कैम्बल, उन्होंने इस देश के समाचार पत्रों को बताया कि -

"The purpose and intent of the G-8 policy -- and the pending November, 2008 NSG proposal [which was passed now] -- is indeed to bar ENR technologies to States [like India] that have not signed the NPT."

अगर ये सारी बातें अमेरिका की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से आ रही हैं, उनके वैज्ञानिकों की तरफ से आ रही हैं, तब यह बहुत खतरनाक है। उस पर हमारे देश के श्री अनिल काकोडकर की प्रतिक्रिया इस बात को बताती है कि सारे परमाणु वैज्ञानिक इस बारे में भारी चिन्तित हैं, भारी आशंकाओं से ग्रस्त हैं। इसलिए मैं यह चाहूँगा कि एक बात जो अभी कही गई है और पहले आडवाणी जी ने भी कही थी कि सदन को और संसद को पहले कानून यह पास करना चाहिए जो पिछली बार हमने प्राइवेट मैम्बर की हैसियत से रखा था लेकिन पास नहीं हो पाया था, वह यह था कि कोई ऐसी संधि जो भारत के आर्थिक और सामरिक, कृषि संबंधी सार्वभौमिकता को प्रभावित करती हो, वह बिना संसद की मंजूरी के पास नहीं की जानी चाहिए, रेटिफाइ नहीं की जानी चाहिए। इस घटना से यह बात स्पष्ट होती है कि इस कानून की अविलंब आवश्यकता है जो देशहित में, देश की सार्वभौमिकता और सुरक्षा को बचाने के लिए परम आवश्यक है। [b9]